भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 741

उत्तर देने की तारीख : 10.02.2025

दिव्यांगजन उद्यमियों के अंतर्गत लाभार्थियों की स्थिति

741. श्री येर्रम वेंकट सुब्बा रेड्डी:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश में दिव्यांगजन उद्यमियों के स्वामित्व वाले 16,000 सूक्ष्म, 370 लघु और 30 मध्यम उद्यम हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि खरीद और विपणन घटक के अंतर्गत दिव्यांगजन उद्यमियों के लाभार्थियों की संख्या इतनी उत्साहजनक नहीं है क्योंकि पिछले तीन वर्षों (2021-22 से 2023-24) में देश में 24,000 से अधिक लाभार्थियों में से केवल 250 दिव्यांगजन उद्यमी ही लाभान्वित हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और 2021-22 से 2023-24 तक आंध्र प्रदेश से लाभार्थियों की संख्या और इनकी वर्ष 2024-25 में स्थिति क्या है; और

(घ) सरकार की दिव्यांगजन स्वामित्व वाले उद्यमों के लिए क्या विशेष योजनाएं बना रही है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) उद्यम पंजीकरण पोर्टल के अनुसार, आंध्र प्रदेश राज्य में दिव्यांगजन उद्यमियों द्वारा पंजीकृत और उनके स्वामित्व वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की संख्या 21,054 है। इनमें से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का विवरण नीचे दिया गया है:

आंध्र प्रदेश राज्य में दिव्यांगजन उद्यमियों द्वारा पंजीकृत और स्वामित्व वाले एमएसएमई			
विवरण			**कुल**
सूक्ष्म	लघु	मध्यम	
20,660	368	26	21,054

(ख) से (घ) सरकार, अपनी विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतिगत पहलों के माध्यम से, आंध्र प्रदेश राज्य सहित देश भर में दिव्यांगजन उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसएमई सहित एमएसएमई के विकास में सहायता करती है। दिव्यांगजन के स्वामित्व वाले उद्यमों के लिए विशेष प्रावधानों के साथ एमएसएमई मंत्रालय की कुछ प्रमुख योजनाएं नीचे दी गई हैं:

i. खरीद और विपणन सहायता योजना के तहत, घरेलू व्यापार मेलों में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए आयोजन के न्यूनतम स्टॉल आकार पर दिव्यांग व्यक्तियों के स्वामित्व वाली इकाइयों द्वारा भुगतान किए गए किराए पर निर्मित स्थान 100% पर सब्सिडी प्रदान की

जाती है। पिछले 3 वर्षों में आंध्र प्रदेश राज्य सहित देश के लिए योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या नीचे दी गई है:

खरीद और विपणन सहायता योजना के तहत लाभार्थियों का विवरण				
वित्त वर्ष	कुल लाभार्थी	दिव्यांगजन लाभार्थी	आंध्र प्रदेश से कुल लाभार्थी	आंध्र प्रदेश से दिव्यांगजन लाभार्थी
2021-22	2332	22	शून्य	शून्य
2022-23	10,733	118	66	शून्य
2023-24	11,034	109	101	1

ii. प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत, दिव्यांग जैसे विशेष श्रेणियों से संबंधित लाभार्थियों के लिए, मार्जिन मनी सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्रों में 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% है। परियोजना की अधिकतम लागत विनिर्माण क्षेत्र में 50 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपये है। साथ ही, महिलाओं सहित विशेष श्रेणी के तहत लाभार्थियों का स्वयं का योगदान 5% और सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए 10% है।

iii. सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी योजना के तहत, विकलांग व्यक्तियों के स्वामित्व वाले एमएसई को वार्षिक गारंटी शुल्क में 10% की छूट और ऋण के संबंध में 85% की कवरेज की छूट का प्रावधान है।

iv. एमएसएमई मंत्रालय की राष्ट्रीय पुरस्कार योजना के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, 'दिव्यांग' श्रेणी से संबंधित उद्यमियों को 2 राष्ट्रीय पुरस्कारों का प्रावधान है, जिनमें से प्रत्येक को 3 लाख रुपये के नकद पुरस्कार सहित ट्रॉफी और प्रमाण पत्र सहित दिया जाता है।

v. उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, दिव्यांगों, पूर्व सैनिकों और बीपीएल व्यक्तियों सहित समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले युवाओं (पुरुष और महिला) को स्व-रोज़गार या उद्यमिता को करियर विकल्प के रूप में विचार करने के लिए प्रेरित करना है। इसका प्रमुख उद्देश्य नए उद्यमों को बढ़ावा देना, मौजूदा एमएसएमई की क्षमता का निर्माण करना और देश में उद्यमशीलता संस्कृति को विकसित करना है।

*****